प्रपत्र–3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक / व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	संस्थान मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा वन परिक्षेत्र छोटेडोंगर अंतर्गत **खनिज लौह अयस्क खनिपट्टा एवं पहुँच मार्ग** हेतु		
2	आवेदक / आवेदक का विभाग का नाम	संस्थान मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझरा, उरला–गुमारोड रायपुर		
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	**खनिज लौह अयस्क खनिपट्टा एवं पहुँच मार्ग** हेतु		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	**आरक्षित / नारंगी वन क्षेत्र**		
5	वन भूमि / राजस्व वन भूमि का विस्तृत विवरण	**वन खण्ड**	**कक्ष क्रमांक**	**आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल हे. में**
	(क) सीमांकित संरक्षित वन	उत्तर धनोरा / मड़मनार	Orange Area P 2217 A, P 2226A	4.150
	योग :–	**2**	**02**	**4.150**
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन	छोटेडोंगर	RF 2185' 2184' 2180, 2179, 2182, 2181, 2180, 2184 2183, 2188	61.87
	योग :–	1	10	61.87
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	–	–	–
	कुल योग:–	**03**	12	**66.020**
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित वन, साईड क्वालिटी – III वन घनत्व –0.5 से 0.6 तक		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	खनन क्षेत्र में लगभग 19095 वृक्ष एवं पहुंच माग में लगभग 3265 वृक्ष है कुल वृक्षो की संख्या लगभग 22360 है। वृक्षों का विवरण पेज क्रमांक ..34.....–56..........तक में संलग्न है।		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	सामान्य		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. / वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र	9.02 कि.मी. की दूरी पर प्रस्तावित है। मानचित्र पेज क्रमांक ......8............. में संलग्न है।		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायेस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नही ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं		
11	**आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नही (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण**			

	कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नही ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं।

//प्रमाण–पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई कुल रकबा 66.020 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :– माइनिंग लीज क्षेत्र (धोरेडोंगर)
दिनांक :– 27/12/2019

(डी.के.एस. चौहान)
"रा.व.से."
वनमंडलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल,नारायणपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर(छ.ग.)

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, नारायणपुर वनमंडल के छोटेडोंगर परिक्षेत्रा अंतर्गत ग्राम छोटेडोंगर के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2185, 2184, 2180, 2179, 2182, 2181, 2183, 2188 ऑरेज एरिया पी. 2217 ए, पी. 2226ए में से रकबा 66.020 हे. में लौह अयस्क उत्खनन एवं पहुँच मार्ग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 27/12/2019 को मेरे द्वारा किया गया है। बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुलर्भ/संकटापान/विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं है तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्पारिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्रा में स्थित नहीं है।

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के द्वारा लौह अयस्क उत्खनन हेतु मांग की गई वन भूमि रकबा 66.020 हे. परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2185, 2184, 2180, 2179, 2182, 2181, 2183, 2188 ऑरेज एरिया पी. 2217 ए, पी. 2226 ए में कुल लगभग 22360 मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते करते हुए धनत्व 0.5 से 0.6 तक तथा स्थल श्रेणी IIIrd स्टॉक के है एवं प्रस्तावित स्थल की समाकृति पहाड़ी, अर्ध पहाड़ी, समतल भौमिकी आरकियन और मृदा लाल लेटराइट एवं रेतिली दुमट है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

नारायणपुर वनमंडल परिक्षेत्र छोटेडोंगर के सूदुर अंचल ग्राम में लौह अयस्क हेतु खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने से आस–पास के ग्रामीणों को वृहद्ध रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होगी, जिससे ग्रामीणों को रोजगार हेतु अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी। चूँकि प्रस्तावित वन भूमि में लौह अयस्क की बहुलता है, जिसका उत्खनन किया जाता है तो आवेदक संस्थान द्वारा लौह अयस्क परिवहन के बदले दी जाने वाली राशि शासन की कोष में जमा होगी,जिससे शासन द्वारा राज्य के हित में कार्य किये जायेगे। कार्य की प्रकृति को देखते हुए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित वन भूमि में लौह अयस्क खनिपट्टा हेतु मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड को दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(डी.के.एस.चौहान)
"रा.व.से."
वनमंडलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल,नारायणपुर

भाग– III